birac
Ignite Innovate Incubate

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार

और

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् (बाइरैक)

(भारत सरकार का उपक्रम)

के मध्य

समझौता ज्ञापन

2020–2021

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

(विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय)

और

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् (बाइरैक)

(भारत सरकार का उपक्रम)

के मध्य

समझौता ज्ञापन

2020–2021

अनुक्रमणिका

भाग I पृष्ठभूमि.....1

भाग II बाइरैक का अभियान, संकल्पना और उद्देश्य.....2

भाग III सीपीएसई के बारे में संक्षिप्त ब्योरा.....4

भाग IV कार्य निष्पादन मूल्यांकन लक्ष्य और उनका निर्धारण.....6

भाग V सीपीएसई द्वारा स्व–घोषणा/प्रमाणन.....8

जैव प्रौद्योगिकी विभाग
(विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय)
और
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् (बाइरैक)
के मध्य
समझौता ज्ञापन
2020–2021

I. पृष्ठभूमि

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् (बाइरैक), वहनीय उत्पाद विकास के लिए नवोन्मेष अनुसंधान को प्रोत्साहन और परामर्श देने के लिए देश में स्थापित अपनी तरह का पहला विशिष्ट संगठन है। उत्पाद विकास के लिए अंतरणीय चरण के माध्यम से अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उद्योग साझेदारी को प्रोत्साहन की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2007 में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति तैयार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा की थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि इसके बजट का 30 प्रतिशत सार्वजनिक निजी साझेदारी में निवेश किया जाएगा और इसके कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए अलग से एक संगठन, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् (बाइरैक) की स्थापना की जाएगी। मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलने के पश्चात्, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् (बाइरैक) की स्थापना 20 मार्च, 2012 को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 'गैर–लाभकारी कंपनी' धारा 8 के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में की गई। बाइरैक, एक अनुसूची 'ख' सीपीएसई, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक अंतरापृष्ठ एजेंसी है, और इस पर जैव प्रौद्योगिकी उद्यमों, विशेष रूप से स्टार्ट–अप और लघु एवं मझौले उद्यमों की नवोन्मेष अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने और वहनीय उत्पाद विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इन उद्यमों के स्थायित्व और विकास का दायित्व है। बाइरैक उद्योग–शिक्षा जगत के बीच मेलजोल बढ़ाने में सहायता करने के साथ–साथ उभरते हुए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए एकल केंद्र के रूप में कार्य करता है, व्यावसायिक और संस्थानिक नेटवर्कों के मध्य संपर्क स्थापित करने में सहायक है, और वहनीय समाधानों एवं उत्पाद विकास पर लक्षित गुणवत्तापरक नवोन्मेष के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराता है।

बाइरैक समर्थनकारी सहायता उपलब्ध कराने और सम्पूर्ण नवोन्मेष पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है और आज 1000 से अधिक स्टार्ट–अप एवं उद्यमी और 500 कंपनियां–दीर्घ, लघु एवं मध्यम कंपनी बाइरैक के इनोवेटर्स नेटवर्क का हिस्सा है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् (बाइरैक) का पंजीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है और इसकी अधिकृत पूंजी 1 करोड़ रुपये है, जिसे प्रति 1,000 रुपये के 10,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है।

बाइरैक ने स्वयं को नवोन्मेषमुखी अनुसंधान को विकसित करने तथा बढ़ावा देने वाले एक गतिशील संगठन के रूप में स्थापित किया है, यह न केवल एक सेवा प्रदाता के रूप में, अपितु एक सुविधा प्रदाता के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बाइरैक ने अपनी व्यवसायीकरण क्षमता के साथ सामाजिक संगतता वाली उच्च जोखिम परियोजनाओं के विकास के लिए विशिष्ट पद्धतियाँ लागू की है।

II अभियान, संकल्पना और उद्देश्य

1. अभियान

बाइरैक के अभियान में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों और सेवाओं के सक्षम सृजन और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, नवोन्मेषी विचारों, उत्पादों और प्रक्रियाओं का व्यवहार्य जैव–उद्यमों के तौर पर सृजन और अंतरण को प्रोत्साहन और सहायता के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के समग्र विकास में सुविधा प्रदान करना शामिल है।

2. संकल्पना

बाइरैक की संकल्पना के अंतर्गत भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग, विशेषकर स्टार्ट–अप एवं लघु एवं मध्यम उद्यमों के कार्यनीतिक अनुसंधान और नवोन्मेष क्षमताओं का विकास, प्रोत्साहन और विस्तार करना शामिल है, जिससे भारत को वहनीय उत्पादों के सृजन में जैव प्रौद्योगिकी नवोन्मेष और उद्यमिता में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने और समाज के बड़े वर्ग की समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

3. उद्देश्य

बाइरैक का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकासात्मक एजेंसी के रूप में कार्य करना और टॉप डाउन उत्पाद विकास कार्यक्रमों के माध्यम से नीचे से ऊपर तक प्रतिस्पर्धी अनुदान दृष्टिकोण के जरिए स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि संबंधी राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करना है। बाइरैक के प्रचालन के विभिन्न पहलू निम्नानुसार हैं:–

(1) नवोन्मेषी विचारों वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना, संकल्पना–प्रमाण, प्रौद्योगिकी वैधीकरण के लिए प्रारंभिक चरण के अनुसंधान में सहायता प्रदान करना और उच्च जोखिम खोज वाले नवोन्मेष अनुसंधान के लिए उद्योग के साथ साझेदारी करना।

(2) जैव प्रौद्योगिकी इग्निशन अनुदान (बीआईजी), जैव प्रोद्योगिकी उद्योग सहभागिता कार्यक्रम (बीआईपीपी), लघु व्यवसाय नवाचार अनुसंधान पहल (एसबीआईआरआई), अनुबंध अनुसंधान योजना (सीआरएस), बायो इन्क्यूबेटर सहायता (बायोनेस्ट) और राष्ट्रीय प्रासंगिकता की दीर्घ चुनौतियों का समाधान करने के लिए उत्पाद नवोन्मेष एवं व्यावसायीकरण।

(3) उद्यमशीलता विकास हेतु सेवाएं जैसे आईपी सेवाएं, प्रौद्योगिकी अंतरण एवं अधिग्रहण, विधि एवं अनुबंधों, नीति एवं विश्लेषण और परामर्श एवं क्षमता निर्माण हेतु सेवाएं प्रदान करना।

(4) जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रोत्साहन एवं विकास में उत्कृष्टता का उच्चतम स्तर प्राप्त करने के लिए शिक्षा–उद्योग जगत की सहभागिता को प्रेरित करने के लिए अभिशासन संरचना के नए स्वरूपों का सृजन एवं प्रोत्साहन।

4. उद्देश्यों के संदर्भ में मात्रात्मक मानदंड निम्नानुसार हैं:

(1) बाज़ार में नई प्रौद्योगिकियों का प्रवेश

(2) नए उद्योगों की स्थापना और उन्नयन

(3) लघु और मध्यम उद्यमों का सुदृढ़ीकरण

(4) खोज एवं नवोन्मेष अनुसंधान में निवेश करना। इनमें उच्च जोखिम–उच्च लाभ और उच्च जोखिम–निम्न लाभ परंतु उच्च सामाजिक प्रभाव शामिल होगा।

(5) ऋण पुनः अदायगी, रॉयल्टी के रूप में निवेशों की वसूली, नए उत्पादों की शुरुआत, नई प्रौद्योगिकियां, आईपी सृजित और संरक्षित, आईपी का व्यावसायीकरण

(6) किफायती उत्पादों का विकास

(7) अकादमिक, उद्योग, सार्वजनिक, निजी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के नए नमूने।

अनुलग्नक–I

III सीपीएसई के बारे में संक्षिप्त ब्योरा

1	सीपीएसई का नाम	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद्
2	स्तर (कृपया टिक् करें) डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार	कोई नहीं
3	सीपीएसई की अनुसूची (कृपया टिक् का निशान लगाएं)	अनुसूची ख
4	सीपीएसई स्थापित करने का उद्देश्य तथा वर्तमान में इसका मुख्य व्यावसाय	बाइरैक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 'गैर–लाभकारी कंपनी' धारा 8 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसे उद्योग–शैक्षिक जगत इंटरफेस को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी इंटरफेस एजेंसी के रूप में जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित गया है। जिसे जैव प्रौद्योगिकी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित एवं सशक्त बनाने और नवीन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग प्रणालियों के समस्त भागों का कायाकल्प करने का कार्य सौंपा गया है।
5	2016–17 के दौरान पुनर्निर्धारित की जा रही कोई पूंजी, अर्थात् शेयरों का पुनः क्रय, बोनस शेयरों का निर्गमन, नये शेयरों का निर्गमन, शेयरों का विखंडन तथा लाभांश के अनुसार दिए गए पीएटी का प्रतिशत	लागू नहीं
6	क्या शेयर सूचीबद्ध हैं (यदि हां तो स्टोक एक्सचेंज का नाम तथा तिथि की यथास्थिति अनुसार शेयर का मूल्य)	नहीं
7	वर्ष के दौरान अथवा अगले वर्ष (एमओयू वर्ष) क्षमता में कोई परिवर्तन	नहीं
8	वर्ष के दौरान अथवा अगले वर्ष (एमओयू वर्ष) में अलग हुआ या अलग किया जाने वाला अथवा जोड़ा गया या जोड़े जाने वाला कोई व्यवसाय एकक	लागू नहीं
9	उस क्षेत्र के बारे में संक्षिप्त ब्योरा जिसमें सीपीएसई प्रचालनरत है तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवेश, विनियामक परिवेश आदि।	बाइरैक देश में स्थापित अपनी तरह के संस्थानों में से एक है जो विशेष तौर पर एक विकासात्मक एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है जो पूर्ण रूप से भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग–एक ऐसा उद्योग जिसमें अन्य क्षेत्रों जैसे कि सू.प्रौ. की अपेक्षा अलग चुनौतियां हैं, के उत्प्रेरित रूपातंरण पर केंद्रित है, क्योंकि इसमें उत्पादन पूर्व तैयारी अवधि अपेक्षाकृत अधिक लंबी है और विभिन्न प्रकृति के विनियामक मामले हैं। बाइरैक भारतीय जैव प्रौद्यागिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने में भारतीय अनुभवी संगठन के तौर पर विशिष्ट स्थान रखता है। समूचे देश में बाइरैक के अधिदेश, संकल्पना एवं अभियान की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र में नेतृत्व करने वाली कोई एजेंसी नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में नेतृत्व करने वाली एजेंसियां हैं जो फिनलैंड की टेक्स तथा स्वीडन की विन्नोवा जैसी उच्च प्रौद्योगिकी नवाचार चलित उद्योगों को सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ये एजेंसियां उच्च प्रौद्योगिकियों के सभी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, इसके विपरीत बाइरैक केवल जैव प्रौद्योगिकी पर ही ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा, ये एजेंसियां विकसित देशों से संबंध रखती हैं जिनका जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर आरएंडडी निवेश की इकाई में मापी गई एसएंडटी में समग्र आरएंडडी में निवेश का उल्लेखनीय तौर पर अपेक्षाकृत बड़ा स्तर है। आरएंडडी वित्तपोषण के संदर्भ में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शाए गए इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य और इसके अतिरिक्त बाइरैक के एक विशिष्ट संगठन होने के कारण, बाइरैक की बेंचमार्किंग कर पाना संभव नहीं होगा।

10	पुनरुद्धार योजना का विवरण, यदि अनुमोदित हो		लागू नहीं	
11	सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी तथा राजस्व/लाभ/हानि/ परिसंपत्ति/देयताओं पर इसका प्रभाव		शून्य	
12	क्या सीएंडएजी ने सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों को पूरा किया। यदि नहीं तो प्रभाव के साथ विवरण दें।			
13.	सहायक कंपनियों की संख्या एवं नाम तथा विगत पांच वर्षों के दौरान निवेश की गई राशि एवं इसके लाभ में हिस्सेदारी		एक से अधिक सहायक कंपनी होने की स्थिति में, अलग से शीट संलग्न करें। प्रत्येक सहायक कंपनी एवं संचित राशि (समेकित) के संदर्भ में भी अलग से जानकारी दी जा सकती है।	
	वर्ष*	**सहायक कंपनी का नाम**	**निवेश की गई राशि (रु.)**	**कंपनी के लाभ में हिस्सेदारी (रु.)**
	2013-14		लागू नहीं	
	2014-15			
	2015-16			
	2016-17			
	2017-18			
14.	संयुक्त उद्यम कंपनियों की संख्या एवं नाम तथा विगत पांच वर्षों के दौरान निवेश की गई राशि एवं इसके लाभ में हिस्सेदारी		एक से अधिक संयुक्त उद्यम होने की स्थिति में, अलग से शीट संलग्न करें। प्रत्येक संयुक्त उद्यम एवं संचित राशि (समेकित) के संदर्भ में भी अलग से जानकारी दी जा सकती है।	
	वर्ष*	**संयुक्त उद्यम का नाम**	**निवेश की गई राशि (रु.)**	**कंपनी के लाभ में हिस्सेदारी (रु.)**
	2013-14		लागू नहीं	
	2014-15			
	2015-16			
	2016-17			
	2017-18			

IV कार्य निष्पादन मूल्यांकन लक्ष्य और उनका निर्धारण

अनुलग्नक–II, भाग–ख

क्र. सं.	मानदण्ड	अंक	2019–20 (अनुमा. नित)	पांच वर्षों में सर्वश्रेष्ठ	समझौता ज्ञापन का लक्ष्य वर्ष 2020–21 के लिए				
					उत्कृष्ट (1)	बहुत अच्छा (2)	अच्छा (3)	उचित (4)	अल्प (5)
1	वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त लाभार्थियों की सं. (सं.)	10	550	419	725	690	650	620	600
2	डीबीटी से वार्षिक आबंटन के प्रतिशत के रूप में डीबीटी को छोड़कर अन्य से जुटाए गए संसाधन (%)	10	30	25	33	32	31	30	29
3	साझेदारी के वित्त पोषण से निधि प्राप्त करने वाली परियोजनाओं की संख्या (अर्थात् डीबीटी को छोड़कर) (सं.)	10	27	16	29	28	27	26	25
4	इन्क्युबेट की सं. जिन्हें वर्ष के दौरान बाइरैक के बायो–इन्क्युबेशन सिस्टम में इन्क्युबेट किया गया है। (सं.)	10	530	359	650	640	630	620	610
5	वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान प्रौद्योगिकी की तैयारी स्तर–7 (टीआरएल–7) प्राप्त करने वाली परियोजनाएं (सं.)	15	40	29	42	41	39	36	35
6	वाणिज्यीकरण (टीआरएल–8) हेतु तैयार उत्पाद / प्रौद्योगिकी (सं.)	10	10	7	11	10	9	8	7
7	प्रौद्योगिकी एवं उत्पादों को आउट लाइसेंस / व्यावसायीकृत (सं.)	15	15	12	16	15	14	13	12
8	पिछले वर्ष के दौरान प्रशासनिक एवं कार्यालय व्ययों के प्रतिशत के तौर पर जनित राजस्व में वृद्धि (%)	10	—	—	100	90	80	70	60
9	उद्योग द्वारा प्रमाणीकरण हेतु तैयार शैक्षिक जगत से टीआरएल–3 परियोजनाओं का प्रतिशत (%)	5	84	—	88	84	76	74	72

10	जीईएम से संबंधित एमओयू मानदंडः विगत वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल अधिप्राप्ति हेतु जीईएम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रापण का प्रतिशत (%)	5	—	—	25	20	15	10	5

1. वर्ष हेतु हासिल की जा रही उपलब्धियों में, एमओयू दिशानिर्देशों में निर्धारित नकारात्मक अंकों के अलावा राजस्व/लाभ/अधिशेष के अतिशयोक्तिपूर्ण कथन अथवा नुकसान/घाटे के न्यूनोक्तिपूर्ण कथन की स्थिति में सीएजी/सांविधिक लेखा परीक्षकों की परिमाणीकृत योग्यताओं को समायोजित किया जाएगा।

2. एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार आधार वर्ष (2019–20) में अनुमानित कार्य प्रदर्शन के बावजूद वास्तविक कार्य प्रदर्शन में सुधार के मामले में लक्ष्य में समायोजन किया जाएगा।

3. यह सहमति व्यक्त की गई कि निर्धारित लक्ष्य शर्त रहित हैं और किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार के समायोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन एमओयू दिशानिर्देशों में निहित अतिरिक्त पात्रता मानदंड के अनुपालन के अधीन होगा।

कृते
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद्

हस्ता./–
श्रीमती अंजू भल्ला
प्रबंध निदेशक
बाइरैक
दिनांक : 26.11.2020

कृते
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

हस्ता./–
डॉ. रेणु स्वरुप
सचिव
जैव प्रौद्योगिकी विभाग
दिनांक : 26.11.2020

V स्व–घोषणा/सीपीएसई द्वारा प्रमाण पत्र

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2020–21 के लिए एमओयू मानदण्डों के संबंध में लक्ष्य/वास्तविक उपलब्धियों को एमओयू दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रतिमानों एवं परिभाषाओं को अंगीकृत करके एमओयू दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है। यदि किसी भी समय कोई भी विचलन पाया जाता है तो लोक उद्यम विभाग एमओयू दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र है। इस संबंध में सीपीएसई को दावा करने का अधिकारी नहीं है।

हस्ता.
प्रबंध निदेशक
दिनांक : 26.11.2020

Ignite Innovate Incubate

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद्

(भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएन सं.: यू73100डीएल2012एनपीएल233152

प्रथम तल, एमटीएनएल बिल्डिंग, 9 सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

ईमेल : birac.dbt@nic.in, वेबसाइट : www.birac.nic.in, टविटर हैंडल @birac_2012